

25/6/24 पत्रावली पेशा हुई। तहसीलदार नदरबई से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली की गई। बापी अधिवक्ता ने दौरान बहल कथन किया कि बापी का सही नाम गमनसिंह है जबकि जमावदी में गलत नाम गंभीरसिंह दर्ज कर दिया है जिसे पुरुरस्त किया जाकर गमनसिंह किया जाये। बापी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया इसके स्पष्ट है कि बापी का नाम गमनसिंह है जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.05.24 में की है। अतः बापी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश है कि जमावदी में दर्ज नाम गंभीरसिंह के स्थान पर गमनसिंह दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली फलान शुगर घेरा नम्बर से कम है।

25/6/24  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नदरबाई (नरतपुर)